

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर

परिक्षेत्र।

पत्रांक:रिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-17(गाजि0)/981/857

दिनांक: नवम्बर 29 2017.

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,  
मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल,  
सेक्टर-09, वसुन्धरा,  
जनपद-गाजियाबाद।

विषय: मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर-09, वसुन्धरा जनपद गाजियाबाद में विद्यमान एजुकेशनल भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का वर्ष 2017-2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी:2017/37375/जीजैडबी/गाजियाबाद/2482/डी0डी0  
महोदय,

कृपया आपके प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी वेशाली जनपद गाजियाबाद श्री सोमदत्त से कराया गया तथा उनकी आख्या एस-4/एफएसवी-2017 दिनांक: 20-11-2017 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या: सीएफओ-रिनु-43/2017 दिनांक: 24-11-2017 को इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- प्रश्नगत भवन को मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद कार्यालय पत्रांक:आई-12/2009(8) दिनांक: 28-03-2010 के द्वारा अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

भवन की संरचना:- कुल भूखण्ड एरिया-10,944.71 वर्ग मी0 है, जिसमें निर्मित तलों का फ्लोरवार्डज एरिया विवरण निम्नवत है:

क्रमांक	तलों का विवरण	निर्मित कवर्ड एरिया वर्ग मी0।
01	लोअर ग्राउण्ड	2471.83
02	अपर ग्राउण्ड	2846.61
03	प्रथम तल	2541.81
04	द्वितीय तल	2182.31
05	भवन की ऊँचाई:-12.50 मीटर।	

भवन का प्रयोग:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी-2005 की एजुकेशनल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्थाएँ:-

1-पहुँच मार्ग:- प्रश्नगत भवन के सामने 15.00 मी0 चौड़ा रोड उपलब्ध है। तथा प्रवेश द्वार की चौड़ाई 08.00 मी0 मानकी है। उपलब्ध है।

2-सैटबेक:-प्रश्नगत भवन के भवन के चारों ओर 06-06 मी0 सैटबेक उपलब्ध हैं। जिनको अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु सड़क-अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। सैटबेक सड़क-अवरोधमुक्त रखा जाये।

3-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में दो ब्लॉक (ओल्ड ब्लॉक एवं न्यू बिल्डिंग) के रूप में निर्मित है। जिसके ओल्ड ब्लॉक में लोअर ग्राउण्ड 03 स्टेयर जिसमें 02 स्टेयर की चौड़ाई 01.50 मी0 एवं 01 स्टेयर की चौड़ाई 01.80 मी0 एवं अपर ग्राउण्ड से 02 स्टेरकस जिसमें 02 स्टेयर की चौड़ाई 01.50मी0 एवं 01 स्टेयर की चौड़ाई 01.80 मी0 उपलब्ध है। तथा न्यू बिल्डिंग में 02 स्टेयरकस जिसकी चौड़ाई 02.00 मी0 एवं 01 स्टेयर की चौड़ाई 01.80 मी0 उपलब्ध है। जिनकी भवन के समस्त स्थानों से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं उसमें सन्दर्भित यूआईडीएस0-2004 के प्रावधानों के अनुसार निम्न स्थापित पाई गई जिनका विवरण निम्नवत है:-

1-होजरील/डाउनकमर:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक में प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग बाल्क, का प्राविधान एन0बी0सी0-2005 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।

स्वामी  
मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल  
सेक्टर-09, वसुन्धरा,  
जनपद-गाजियाबाद

2-भूमिगत टैंक:- प्रश्नगत भवन परिसर में अग्निशमन व्यवस्था हेतु 50,000 पचास हजार ली0 क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।

3-पम्प:- प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक के पास 01 अदद विद्युत चालित मैन फायर पम्प क्षमता 1620 एल0पी0एम0, एवं 01 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 का कार्यशील दशा में स्थापित है। तथा सिस्टम को जनरेटर से कनेक्ट किया गया है।

4-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक 5,000 हजार ली0, क्षमता का कार्यशील दशा में स्थापित है।

5-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस पम्प 450/900 एल0पी0एम0 क्षमता का कार्यशील दशा में स्थापित है।

6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये।

7-वेटसाईज- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

8-यार्ड हाईड्रेन्ट- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

9-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कार्यशील दशा में स्थापित है।

10-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

11-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

13-प्रेशराईजेशन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

14-पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय नहीं है।

15-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार है।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर-09, वसुन्धरा जनपद गाजियाबाद में विद्यमान एजकेशनल भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का वर्ष 2017-2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1-भवन प्रबन्धक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाएँ रखने हेतु सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जायें।

2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।


4-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5-प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेंक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6-विद्यालय के ऐसे कक्ष जिनमें 01 दरवाजा है उनमें 45 से अधिक छात्र छात्रायें न बैठाये जायें।

7-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

8-उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

  
(अमन शर्मा)  
उप निदेशक फायर सर्विस  
मेट/सहारनपुर परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी वैशाली, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।